न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–।, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–465/2026

बाल्मीकी यादव बनाम बिहार राज्य

**17.06.2026** आवेदक/अभियुक्त **बाल्मीकी यादव पे0 स्व0 आदि दास,** जो इसलामपुर थाना काण्ड सं–102/2025 (अन्तर्गत धारा–126(2),115(2),118(2),109,351(3),352,3(5) बी0एन0एस0) में अभियुक्त है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री नगीना प्रसाद द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं–236/2025 सत्र न्यायालय से एवं कि0 मिस0 नं–65622/25 माननीय उच्च न्यायालय, पटना से अस्वीकृत किया गया है। इसके अलावे किसी प्रकार का कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप झूठा, बेबुनियाद तथा सच्चाई से कोई वास्ता वो सरोकार नहीं है। तलवार से मारने का आरोप सह अभियुक्त योगेन्द्र यादव के विरूद्ध है, जिसे सत्र न्यायालय से रिहा किया जा चुका है। आवेदक वृद्ध एवं रोगग्रस्त तथा गरीब व्यक्ति है। पलटा मुकदमा इसलामपुर थाना काण्ड सं–101/2025 से बचने के लिए यह प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आवेदक को पुलिस गिरफ्तार करने के फिराक में है। इन तर्कों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–126(2),115(2),118(2),109,351(3),352,3(5) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि दिनांक 01.03.2025 को आवेदक अभियुक्त सह अभियुक्त के साथ मिलकर तलवार व चाकू से सूचक सुनील कुमार यादव को सर, हाथ व पीठ पर मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिये थे। यह आरोप काफी गंभीर है एवं वाद दैनिकी में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। वाद दैनिकी में सूचक सुनील कुमार यादव का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें वर्णित है कि सूचक के शरीर पर कई जगह जख्म पाये गये हैं एवं पीठ, हाथ व सर पर धारदार हथियार से कारित जख्म है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दो सप्ताह के भीतर आवेदक अभियुक्त को समर्पण करने का आदेश दिया गया था, किन्तु आवेदक अभियुक्त द्वारा अभी तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन भी नहीं किया गया है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं–465 / 2026

**लगातार**
**17.06.2026**

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

Alok

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– I, हिलसा